न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 73/2022
(GCMS 2022/254)(212245920905073)

श्री गौरव शर्मा, निवासी मकान नम्बर 17, गली नं. 08, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर

बनाम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गौरव शर्मा स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 12.09.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी उसे आज दिनांक तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गौरव शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.09.22 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. Name and designation of all the employees working inSri Ganganagar Collectorate from July 1st, 2020 to September 10th, 2021
2. Joining date and incumbent date of retirement of all the above mentioned employee
3. Monthly remuneration of all the above mentioned employees.
4. Name and designation of Sri Ganganagar Collectorate employees who retired between January 1,2018 to Decemner 31, 2019

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ.1(23)( )स्था/2022/5951 दिनांक 04.10.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

क्र.सं.	चाही गयी जानकारी	उत्तर
1	Name and designation of all the employees working in Sri Ganganagar Collectorate from July 1st, 2020 to September 10th, 2021	बिन्दु संख्या 1 से 04 तक चाही गई वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना प्रकटन में कोई व्यापक जनहित भी नहीं है। अतः आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार देय नहीं है।
2	Joining date and incumbent date of retirement of all the above mentioned employee.	
3	Monthly remuneration of all the above mentioned employees.	
4	Name and designation of Sri Ganganagar Collectorate employees who retired between January 1,2018 to Decemner 31, 2019	

-sd-
(डॉ. हरीतिमा)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा,** श्रीगंगानगर **द्वारा अपील का दिया गया जवाब सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा,** श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर